

RAJASTHAN STATE INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND INVESTMENT  
CORPORATION LIMITED UDYOG BHAWAN: TILAK MARG: JAIPUR -5

No. IPI/F-1 (6)/27/13/96  
Dated: 26 May, 2022

CIRCULAR

Finance Department (G&T), Government of Rajasthan has issued circular on dated 12 May, 2022 regarding implementation of rule no. 43 of RTPP Rules 2013 related to notice inviting bids to be published in newspapers must be in abridged. For this purpose copy of template is also enclosed.

All concerned are advised to adhere to the enclosed circular.



(Manish Mathur)  
Financial Advisor

Copy to:-

1. Advisor (A&M), RIICO, Jaipur.
2. GM (PR), RIICO, Jaipur.
3. GM (Civil), RIICO, Jaipur.
4. SE (Power), RIICO, Jaipur.
5. DGM (IT), RIICO, Jaipur.
6. All Unit Head, RIICO.



राजस्थान सरकार  
वित्त (जीएप्डटी) विभाग

वित्त  
आमंत्रण सूचना  
अमृत महोदय

को: एफ 7(5)वित्त / इसपीएफसी / 2013

जयपुर दिनांक - 12 MAY 2022

परिपत्र

विषय:- राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के अनुसरण में संक्षिप्त (Abridged) बोली आमंत्रण सूचना के प्रकाशन बाबत।

*Dear Sir*  
*Mr. A.M.*  
*MANISH M*  
*Financial Ad*  
*20 MAY 2022*  
उपापन संस्थाओं द्वारा किये जा रहे उपापनों के संदर्भ में समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाने वाली बोली आमंत्रण सूचना संक्षिप्त रखे जाने हेतु इस विभाग के समसंबंधिक परिपत्र दिनांक 25.06.2020 द्वारा निर्देश प्रदान किये गये थे। साथ ही इस संबंध में बोली आमंत्रण सूचना का एक मानकीकृत प्रारूप (Template) भी उपलब्ध कराया गया था।

RTPP नियम, 2013 के अन्तर्गत बोली आमंत्रण सूचना के प्रकाशन के संदर्भ में अनुसार प्रावधान किये गये हैं:-

N-133  
43. बोली आमंत्रित करने वाली सूचना:- (1) उपापन संस्थान खुली प्रतियोगी बोली और द्वि प्रक्रमी बोली में दोलियों की, या जहां लागू हो, पूर्व-अर्हता के लिए आवेदन की अस्थर्थना बोली या, यथास्थिति, पूर्व-अर्हता के आमंत्रण का प्रकाशन राज्य लोक उपापन पोर्टल और उसकी स्वयं की शासकीय वेबसाइट, यदि उपलब्ध हो, पर करके करेगी। इस नियम के उप-नियम (6) और (7) में यथा-विहित पर्याप्त परिचालन वाले समाचार पत्रों में धूक संक्षिप्त नोटिस भी प्रकाशित किया जायेगा।

(5) समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाने वाली बोली आमंत्रित करने वाला नोटिस संक्षिप्त होना चाहिए। उपापन की एक से अधिक विषय-वस्तु के लिए बोली यथा-संभव एक नोटिस में प्रकाशित की जायेगी।

2019  
परन्तु व्यवहार में देखा गया है कि अधिकांश उपापन संस्थाओं द्वारा उपरोक्त निर्देशों की अनुपालना नहीं की जा रही है। जोकि अत्यधिक खेद का विषय है एवं राज्य सरकार द्वारा इसे गंभीरता से लिया गया है। समस्त उपापन संस्थाओं को एतदद्वारा पुनः निर्देशित किया जाता है कि वे भविष्य में किये जाने वाले उपापनों के संदर्भ में समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाने वाली बोली आमंत्रण सूचना के प्रारूप को आर.टी.पी.पी. नियम, 2013 के नियम 43 के प्रावधानों के अनुरूप संक्षिप्त (Abridged) रखा जाना सुनिश्चित करावें। इस बाबत मानकीकृत प्रारूप (Template) की प्रति संलग्न है।

उक्त निर्देशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जावे।

कृष्णराम  
(सुधीर कुमार शार्गी)  
शासन सचिव,  
वित्त (बजट) विभाग



राजस्थान सरकार  
वित्त (जीएप्टी) विभाग



क्र०: एफ 7(5)वित्त / ईसपीएफसी / 2013

जयपुर दिनांक - 12 MAY 2022

परिपत्र

विषय:- राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के अनुसरण में संक्षिप्त (Abridged) बोली आमंत्रण सूचना के प्रकाशन बाबत।

*Dear Sir*  
*OM*  
*MANISH M*  
*Financial Ad*  
*20.05.2022*

उपापन संस्थाओं द्वारा किये जा रहे उपापनों के संदर्भ में समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाने वाली बोली आमंत्रण सूचना संक्षिप्त रखे जाने हेतु इस विभाग के समसंबंधिक परिपत्र दिनांक 25.06.2020 द्वारा निर्देश प्रदान किये गये थे। साथ ही इस संबंध में बोली आमंत्रण सूचना का एक मानकीकृत प्रारूप (Template) भी उपलब्ध कराया गया था।

*N-13*  
*RTPP नियम, 2013 के अन्तर्गत बोली आमंत्रण सूचना के प्रकाशन के सदर्भ में अनुसार प्रावधान किये गये हैं:-*

43. बोली आमंत्रित करने वाली सूचना:- (1) उपापन संस्थान खुली प्रतियोगी बोली और द्वि प्रक्रमी बोली में बोलियों की, या जहां लागू हो, पूर्व-अर्हता के लिए आवेदन की अभ्यर्थना बोली या, यथास्थिति, पूर्व-अर्हता के आमंत्रण का प्रकाशन राज्य लोक उपापन पोर्टल और उसकी स्वयं की शासकीय वेबसाइट, यदि उपलब्ध हो, पर करके करेगी। इस नियम के उप-नियम (6) और (7) में यथा-विहित पर्याप्त परिचालन वाले समाचार पत्रों में एक संक्षिप्त नोटिस भी प्रकाशित किया जायेगा।

(5) समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाने वाली बोली आमंत्रित करने वाला नोटिस संक्षिप्त होना चाहिए। उपापन की एक से अधिक विषय-वस्तु के लिए बोली यथा-संभव एक नोटिस में प्रकाशित की जायेगी।

*AM 16*  
*2019 (4)*  
*1*  
*2019*


परन्तु व्यवहार में देखा गया है कि अधिकांश उपापन संस्थाओं द्वारा उपरोक्त निर्देशों की अनुपालना नहीं की जा रही है। जोकि अत्यधिक खेद का विषय है एवं राज्य सरकार द्वारा इसे गंभीरता से लिया गया है। समस्त उपापन संस्थाओं को एतद्वारा पुनः निर्देशित किया जाता है कि वे भविष्य में किये जाने वाले उपापनों के संदर्भ में समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाने वाली बोली आमंत्रण सूचना के प्रारूप को आर.टी.पी.पी. नियम, 2013 के नियम 43 के प्रावधानों के अनुरूप संक्षिप्त (Abridged) रखा जाना सुनिश्चित करावें। इस बाबत मानकीकृत प्रारूप (Template) की प्रति संलग्न है।

उक्त निदेशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जावे।

*द्विपदी*  
*(सुधीर कुमार शार्मा)*  
*शासन सचिव,*  
*वित्त (बजट) विभाग*

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

सचिव, राज्यपाल/प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री/विशिष्ट सहायक, समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण।  
 1. सचिव, राज्यपाल/प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री/विशिष्ट सहायक, समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण।  
 2. उप सचिव, मुख्य सचिव/निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/समस्त प्रमुख शासन सचिव/समस्त शासन  
 सचिव/समस्त विशिष्ट शासन सचिव।  
 3. सचिव, राजस्थान विधान सभा, राजस्थान जयपुर।  
 4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।  
 5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।  
 6. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।  
 7. प्रधान महालेखाकार (ए एष्ट इ) राजस्थान, जयपुर।  
 8. प्रधान महालेखाकार ऑफिट, राजस्थान जयपुर।  
 9. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उपशासन सचिव को अपने अधीनस्थ सचिवालय के समस्त अनुभागों/विभागों को  
 उक्त परिपत्र की पालना किये जाने के लिए निर्देशित करने हेतु।  
 10. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर/संभागीय आयुक्त को अपने अधीनस्थ विभागों को उक्त परिपत्र की पालना  
 किये जाने के लिए निर्देशित करने हेतु।  
 11. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।  
 12. समस्त दिल्लीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी, समस्त विभाग।  
 13. समस्त कोषाधिकारी।  
 14. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर) विभाग को वित्त विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

  
संयुक्त शासन सचिव

Template

..... (Name of Procuring Entity)  
File No. ....

Date.

**Notice Inviting Bid**

Bids for ..... (Name(s) of subject matter(s) of Procurement) are invited from interested bidders upto ..... (time) ..... (date). Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal (<http://eproc.rajasthan.gov.in>, <http://sppp.raj.nic.in>) of the state; and ..... departmental website. The approximate value of the procurement is Rs. ....  
UBN .....

(Designation of Bid Inviting Officer)